

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा (आर0ए0एस0)  
राजस्व वाद संख्या : 202 / 2025  
जीसीएमएस संख्या— 2025 / 568  
निर्णय दिनांक: 26.03.2026

सोहनी बनाम राजस्थान सरकार

—:निर्णय:—

दिनांक: 26.03.2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह वाद-पत्र वादिनी सोहनी पत्नी लालाराम जाति नायक निवासी बाड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने के से वाद पत्र की पत्रावली संधारित की गयी। राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम बाडा व गनोडा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 72 (बाडा) व 91 (गनोडा) में वादिनी का नाम उदीदेवी पत्नी लालाराम जाति नायक दर्ज है। जो गलत है। वादिनी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार सोहनी पत्नी लालाराम अंकित है। वादिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

वाद पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट संलग्न है। शिविर प्रभारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का नाम उदीदेवी पत्नी लालाराम/लालुराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार वादिनी का नाम सोहनी पत्नी लालाराम है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परियच पत्र, वोटर आईडी कार्ड एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंषा से वादिनी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध होना सिद्ध होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा स्वीकार किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि वादिनी का नाम निम्नलिखित तालिका में कॉलम संख्या 05 में अंकित अनुसार है जो वादिनी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में अंकन निम्नानुसार दुरुस्त किया जाए—



  
उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

रा,  
श्री

सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	बाडा	72	उदीदेवी पत्नी लालाराम	सोहनी पत्नी लालाराम
02	गनोडा	91	उदीदेवी पत्नी लालुराम	सोहनी पत्नी लालाराम

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2026 को लिखाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(37)  
(अमरकाश वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़  
सुजानगढ़ (चूरु)



## डिकरी व मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ  
सोहनी बनाम राज. सरकार  
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती  
मुकदमा न0 202 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु..... हाजरी ..... एड.  
मिनजानिब मुद्दई ..... मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि  
दावा वादिनी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिकरी किया जाकर प्रतिवादी  
तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ की  
संवत् 2074-2077 के राजस्व रिकॉर्ड के निम्न ग्राम की प्रविष्टि में अंकन निम्न तालिका  
अनुसार दुरुस्त किया जाए-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	(2)	(3)	(4)	(5)
01	बाडा	72	उदीदेवी पत्नी लालाराम	सोहनी पत्नी लालाराम
02	गनोडा	91	उदीदेवी पत्नी लालुराम	सोहनी पत्नी लालाराम

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ को भिजवाई जावे।

चीज ..... मुबलिंग ..... बाबत .....  
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना  
आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .....  
को अदा करे।

वसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 वर्ष 2026



मुद्दई

31/7  
हस्ताक्षर  
उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत इजराय हुक्मनामा			इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये